मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 4 अगस्त, 1998 (श्रावण 13, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लेदर डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 1996-97 (संचालक, स्थानीय निधि सम्परीक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमंडल की टिप्पणियां) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, राज्य मंत्री ऊर्जा, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले की सेवा सहकारी समितियों में नियम विरुद्ध पदोन्नति किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री दिलीप भटेरे, सदस्य, बालाघाट जिले के विद्युत वितरण केन्द्र भानेगांव के कनिष्ठ यंत्री द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर राज्य मंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री मदन गोपाल सिंह, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिका की प्रस्तुति

श्री खेमसिंह बारमते, सदस्य, बिलासपुर जिले की तहसील मुंगेली को जिला बनाये जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री नरेन्द्र कुमार नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय भागीदारी (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 22 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री नरेन्द्र कुमार नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 24 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 26 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

-2-

7. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

श्री बनवारीलाल अग्रवाल तथा श्री लल्लू सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अध्यादेश, 1998 (क्रमांक 3 सन् 1998) का अननुमोदन करता है."

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 1 घन्टा

(1) श्री तनवन्त सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 1998 (क्रमांक 27 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 28 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री बालेन्दु शुक्ल, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राष्ट्रीय विधि संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 29 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा

(4) श्री तनवंत सिंह कीर, स्थानीय शासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 30 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 31 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) श्री भगवान सिंह यादव, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 32 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में हैजा, मलेरिया, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर, गलघोटू आदि संक्रामक बीमारियों के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

भोपाल :
दिनांक : 3 अगस्त, 1998

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा